[2020] 1 एस. सी. आर 582

सुशील सेठी और एक अन्य

वी.

अरुणाचल प्रदेश और अन्य राज्यों की स्थिति

आपराधिक अपील सं। 125 2020 का

31 जनवरी, 2020

[अशोक भूषण और एम. आर. शाह। जे. जे.]

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973:

एस। 482 – दो अभियुक्तों (एक कंपनी के निदेशक और प्रबंध निदेशक) द्वारा-अपराधी को खारिज करने के लिए याचिका

उनके खिलाफ कार्यवाही यू/एस। 420 आर/डब्ल्यू एस। 120 बी आई. पी. सी.-उच्च न्यायालय

याचिका को खारिज कर दिया-सर्वोच्च न्यायालय में अपील-आयोजितः शिकायत में कोई विशिष्ट आरोप और कथन नहीं हैं कि अभियुक्त का धोखाधड़ी और बेईमान इरादा था-अपराध के लिए कोई प्रथम दृष्टया मामला नहीं है। 420 आई. पी. सी. बनाया गया है-शिकायत में मुख्य आरोप उस कंपनी के खिलाफ है जिसे पक्षकार नहीं बनाया गया है-अभियुक्त के खिलाफ प्रत्यावर्ती दायित्व का गठन करने का कोई आरोप भी नहीं है-इसके अलावा, क़ानून यानी आई. पी. सी. में आरोप पत्र दायर करने के 13 साल बाद अभियुक्त को इस तरह के प्रत्यावर्ती दायित्व समन जारी करने का कोई प्रावधान नहीं है-इसलिए, आपराधिक कार्यवाही को रद्द किया जा सकता है-दंड संहिता, 1860-एस। 420 आर/डब्ल्यू एस। 120 बी.

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1. अपीलार्थियों के खिलाफ धारा 420 के तहत अपराधों के लिए आरोप पत्र दायर किया गया है।

120 बी आई. पी. सी. हालाँकि, यह ध्यान रखना आवश्यक है कि एफ़. आई. आर. और/या यहाँ तक कि आरोप पत्र में भी कोई विशिष्ट आरोप और अभिकथन नहीं हैं कि अभियुक्त का धोखाधड़ी और बेईमान इरादा लेन-देन की शुरुआत से ही था। यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि कंपनी और कंपनी के बीच अनुबंध सरकार तीन बिजली उत्पादन इकाइयों सहित नूरांग पनबिजली परियोजना की आपूर्ति और चालू करने के लिए थी। अपीलकर्ताओं ने परियोजना के लिए टर्बाइनों को किसी अन्य निर्माता से खरीदा। कंपनी ने बिजली परियोजना में उक्त टर्बाइनों का उपयोग किया। यह अनुबंध वर्ष 1993 में था। इसके बाद

वर्ष 1996 में इस परियोजना को चालू किया गया था। वर्ष 1997 में, विद्युत विभाग ने परियोजना के निष्पादन पर संतुष्टि को प्रमाणित करते हुए एक प्रमाण पत्र जारी किया। यहां तक कि दोष देयता अवधि भी जनवरी, 1998 में समाप्त/समाप्त हो गई। वर्ष 2000 में, तीन टर्बाइनों के संबंध में कुछ दोष पाया गया था। तुरंत, टर्बाइनों को बदल दिया गया। बिजली परियोजना ने शुरुआत से ही काम करना शुरू कर दिया-1996 के बाद से। यदि कंपनी/अपीलकर्ताओं का इरादा सरकार को धोखा देने का होता तो वे उन टर्बाइनों को नहीं बदलते जो दोषपूर्ण पाए गए थे। किसी भी मामले में, शिकायत में कोई विशिष्ट आरोप और कथन नहीं हैं कि अनुबंध में प्रवेश करते समय अभियुक्त का धोखाधड़ी या बेईमान इरादा था। इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि अपराध के लिए एक प्रथम दृष्टया मामला भी

आईपीसी की धारा 420 के तहत मामला दर्ज किया गया है। [पैरा 8.1] [599-बी-जी]

हरियाणा राज्य बनाम। भजन लाल (1992) पूरक। 1 एससीसी 335: [1990] 3 पूरक। एस. सी. आर. 259; वेसा होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम। केरल राज्य और अन्य (2015) 8 एस. सी. सी. 293 [2015] 4 एस. सी. आर. 27; हीरालाल हरिलाल भगवती बनाम। सी. बी. आई. नई दिल्ली (2003) 5 एस. सी. सी. 257: [2003] 3 एससीआर 1118; वी. वी. जोस और एक अन्य वी. गुजरात राज्य और दूसरा (2009) 3 एस. सी. सी. 78: [2008] 17 एससीआर 588; शरद कुमार सांघी बनाम। संगीता राणे (2015) 12 एस. सी. सी. 781 [2015] 2 एस. सी. आर. 145; इंदरमोहन गोस्वामी बनाम। उत्तरांचल राज्य (2007) 12 एससीसी 1: [2007]

10 एस. सी. आर. 847-निर्भर।

2. मुख्य आरोप कंपनी के खिलाफ बताए जा सकते हैं। कंपनी को पार्टी नहीं बनाया गया है। आरोप प्रबंध निदेशक और निदेशक तक ही सीमित हैं।

क्रमशः कंपनी। प्रबंध निदेशक या यहां तक कि निदेशक के खिलाफ कोई विशिष्ट आरोप नहीं हैं। प्रत्यावर्ती दायित्व का गठन करने के लिए कोई आरोप नहीं हैं। दंड संहिता में कंपनी के प्रबंध निदेशक या निदेशकों की ओर से प्रत्यावर्ती दायित्व को संलग्न करने का कोई प्रावधान नहीं है जब आरोपी कंपनी है। प्रबंध निदेशक और निदेशक का प्रत्यावर्ती दायित्व उत्पन्न होगा बशर्ते कि कानून में इस संबंध में प्रावधान मौजूद है। कानून में निर्विवाद रूप से ऐसे प्रत्यावर्ती [2020] 1 एस. सी. आर. को निर्धारित करने का प्रावधान होना चाहिए।

देनदारियाँ। यहां तक कि उक्त उद्देश्य के लिए भी, शिकायतकर्ता की ओर से आवश्यक आरोप लगाना अनिवार्य है जो प्रत्यावर्ती दायित्व का गठन करने वाले प्रावधानों को आकर्षित करेगा। वर्तमान मामले में, अपीलकर्ताओं के प्रबंध निदेशक या निदेशक होने के खिलाफ ऐसा कोई विशिष्ट आरोप नहीं है।

क्रमशः कंपनी। इन परिस्थितियों में भी,

विवादित आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने और दरकिनार करने की आवश्यकता है। [पैरा 8.2] [599-जी-एच; 600-ए-डी]

मकसूद सैय्यद बनाम। गुजरात राज्य (2008) 5 एससीसी 568:

[2007] 9 एस. सी. आर. 1113-पर निर्भर था।

3. यह धारा 482 Cr.P.C के तहत शक्तियों का प्रयोग करने और उनके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए एक उपयुक्त मामला है। आई. पी. सी. की धारा 120 बी के साथ पठित धारा 420 के तहत अपराध के लिए अपीलार्थी। उनके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही जारी रखने के लिए

अपीलार्थी उनका अनुचित उत्पीड़न करेंगे। आई. पी. सी. की धारा 420 के तहत अपराध के लिए कोई प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता है। आई. पी. सी. की धारा 420 के तहत अपराध के लिए अपीलार्थियों के खिलाफ दायर आक्षेपित एफ़. आई. आर. और आरोप पत्र को इसके द्वारा रद्द कर दिया जाता है। [पैरा 9 और 10] [600-ई-एच]

4. हालांकि, यह विशेष रूप से देखा जाता है और स्पष्ट किया जाता है कि विवादित आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया जाता है और अलग कर दिया जाता है

केवल अपीलार्थियों के विरुद्ध और किसी अन्य अभियुक्त के विरुद्ध नहीं

जिनके खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया था और कानून के अनुसार अन्य अभियुक्तों के खिलाफ कार्यवाही जारी रहेगी। [पैरा 10] [600-एच; 601-ए]

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन बनाम। एन. ई. पी. सी. इंडिया लिमिटेड और

अन्य (2006) 6 एस. सी. सी. 736: [2006] 3 पूरक। एस. सी. आर. 704; जोसेफ साल्वराजा ए. वी. गुजरात राज्य (2011) 7 एससीसी

59 [2011] 8 एस. सी. आर. 815-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

[1990] 3 पूरक। एससीआर 259

उस पर भरोसा करें

पै

रा 3,18

[2003] 3 एससीआर 1118

उस पर भरोसा करें

पै

रा 3,18

[2006] 3 पूरक। एससीआर 704

उस पर भरोसा करें

पै

रा 3,18

[2008] 17 एससीआर 588

उस पर भरोसा करें

पैरा 3,18 सुशील सेठी v. अरुणाचल प्रदेश का राज्य

[2015] 4 एससीआर 27

उस पर भरोसा करें

पै

रा 3,18

[2015] 2 एससीआर 145

उस पर भरोसा करें

पै

रा 3,18

[2011] 8 एससीआर 815

संदर्भित किया गया है

पै

रा 7.6

[2007] 10 एससीआर 847

पै

रा 7.7

संदर्भित किया गया है

[2007] 9 एससीआर 1113

उस पर भरोसा करें

पै

रा 8.2

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः आपराधिक अपील

2020 की संख्या 125।

गुवाहाटी के 07.09.2018 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2017 की आपराधिक याचिका संख्या 36 (एपी) में उच्च न्यायालय।

हरिन पी. रावल, वरिष्ठ अधिवक्ता। , आनंदो मुखर्जी, अधिवक्ता। के लिए

अपीलार्थी।

संजय जैन, ए. एस. जी., अभिमन्यु तिवारी, सुश्री एलिजा बार, अधिवक्ता। के लिए

उत्तरदाताओं।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

एम. आर. शाह, जे.

1. विवादित फैसले से दुखी और असंतुष्ट महसूस करना

और 2017 की आपराधिक याचिका संख्या 36 (एपी) में ईटानगर में गुवाहाटी उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 07.09.2018 का आदेश, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत उक्त आपराधिक याचिका को खारिज कर दिया है। इसमें आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने और दरकिनार करने के लिए जी. आर. मामला संख्या 05/200/294, मूल आरोपी संख्या। 1 & 2 वर्तमान अपील को प्राथमिकता दी है।

2. उस अपीलार्थी नं. 1 मेसर्स के प्रबंध निदेशक हैं। एसपीएमएल

इन्फ्रा लिमिटेड, जिसे पहले मेसर्स सुभाष प्रोजेक्ट मार्केटिंग लिमिटेड के नाम से जाना जाता था, और अपीलार्थी नं. 2 उक्त फर्म मेसर्स एस. पी. एम. एल. इन्फ्रा का निदेशक है। सीमित। मेसर्स एस. पी. एम. एल. इन्फ्रा लिमिटेड एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है।

कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत निगमित। मेसर्स एस. पी. एम. एल. इन्फ्रा लिमिटेड और अरुणाचल प्रदेश सरकार के बीच निर्माण, आपूर्ति और चालू करने के लिए 18.03.1993 पर एक अनुबंध किया गया था।

तीन बिजली उत्पादन इकाइयों सहित नूरांग पनबिजली परियोजना। 24.96 करोड़ लगभग। अनुबंध के खंड 2 (सी) के अनुसार, कार्यों के लिए दोष देयता अवधि 18 महीने की अवधि के लिए होनी थी। परियोजना जुलाई, 1996 के महीने में शुरू की गई थी। कि मेसर्स एस. पी. एम. एल. [2020] 1 एस. सी. आर. के कार्यों के लिए दोष देयता अवधि।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

इन्फ्रा लिमिटेड की अवधि जनवरी, 1998 में समाप्त हो गई। कि उसके बाद परियोजना चालू हो गई और बिजली का उत्पादन शुरू हो गया और अपीलार्थियों के अनुसार 20.09.1998 तक परियोजना ने 90 लाख किलोवाट इकाइयों का उत्पादन किया था। अपीलार्थियों के अनुसार उक्त परियोजना भी आज चालू है। उत्तरदाताओं द्वारा रखरखाव के भुगतान के संबंध में कुछ विवाद थे। अपीलकर्ताओं ने उत्तरदाताओं को रखरखाव का भुगतान न करने के कारण 09.03.2000 दिनांकित नोटिस के माध्यम से 31.03.2000 से पहले परियोजना को संभालने के लिए नोटिस जारी किया।

2.1 कि उसके बाद उत्तरदाताओं-मूल शिकायतकर्ता ने दायर किया

अपीलकर्ताओं और अन्य लोगों के खिलाफ शिकायत आई. पी. सी. की धारा 420 के तहत अपराध के लिए जंग पी. एस. मामला संख्या 05/2000 है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह आरोप लगाया गया है कि अपीलकर्ताओं ने अनुबंध के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए घटिया गुणवत्ता वाली सामग्री प्रदान की, जिसमें उपयोग करने के लिए निकल और क्रोमियम का विशिष्ट प्रतिशत निर्धारित किया गया था। शिकायत में कहा गया है कि अपीलार्थियों को अनुबंध की शर्तों के अनुसार उपकरणों की आपूर्ति करने की आवश्यकता थी। शिकायत के अनुसार, संयंत्र के भौतिक निरीक्षण के दौरान, डी. ओ. पी. ने पाया कि तीन धावक टरबाइन, अर्थात् टरबाइन संख्या। 1 , 2 और 3 टूट गए और क्षतिग्रस्त हो गए। इसलिए, क्षतिग्रस्त

घटकों को परीक्षण के लिए भेजा गया और नेशनल टेस्ट हाउस, कलकत्ता भेजा गया।

अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और यह पाया गया कि टूटे हुए धावक की रासायनिक संरचना में 5.28% निकल और 7.5% क्रोमियम पाया गया, जो संरचना समझौते के अनुसार विनिर्देश के विपरीत थी। इसलिए, यह आरोप लगाया गया कि मेसर्स एस. पी. एम. एल., कलकत्ता ने

एम. ओ. यू. के विनिर्देशन के अनुरूप नहीं सामग्री की संरचना वाले उप-मानक टर्बाइनों की आपूर्ति के परिणामस्वरूप रनर टर्बाइन बाल्टियों को लगातार नुकसान होता है। लिखित शिकायत के आधार पर, एक एफ. आई. आर. दर्ज/पंजीकृत किया गया था। ऐसा प्रतीत होता है कि जाँच के दौरान, जाँच अधिकारी ने अवैधताओं का पता लगाया/पता लगाया /

अधिक कीमत पर अनुबंध देने में अनियमितताएँ। जाँच के दौरान भी, जाँच अधिकारी ने कुछ अधिकारियों को कर्तव्यों की चूक और उपेक्षा के लिए जिम्मेदार पाया और यह पाया गया कि आरोप पत्र में नामित अधिकारी अरुणाचल प्रदेश सरकार को धोखा देने के उद्देश्य से मेसर्स एस. पी. एम. एल. इन्फ्रा लिमिटेड फर्म के साथ शामिल/सांठगांठ कर रहे थे। जांच पूरी होने के बाद, जांच

अधिकारी ने आई. पी. सी. की धारा 120-बी और 420 के तहत अपराधों के लिए अपीलार्थियों और अन्य लोगों के खिलाफ अंतिम रिपोर्ट/आरोप पत्र दायर किया। 2.2 अपीलार्थियों के अनुसार, उन्हें वर्ष 2017 और सुशील सेठी बनाम तक उनके खिलाफ प्राथमिकी और आरोप पत्र दायर करने के बारे में जानकारी नहीं थी।

एफ. आई. आर. और उनके खिलाफ आरोप पत्र से अवगत होने पर, अपीलकर्ताओं ने धारा 482 Cr.P.C के तहत उपरोक्त आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष एक याचिका दायर की।

अपीलार्थियों की ओर से तर्क दिया गया कि मामला अनुबंध से संबंधित है और इसलिए विशुद्ध रूप से एक नागरिक और संविदात्मक विवाद को आपराधिकता का रंग दिया गया है और वह भी दुर्भावनापूर्ण इरादे से क्योंकि उन्होंने उत्तरदाताओं को देय और देय रखरखाव राशि का भुगतान करने के लिए एक नोटिस दिया था। अपीलार्थियों की ओर से यह भी प्रस्तुत किया गया कि वे मेसर्स एस. पी. एम. एल. इन्फ्रा लिमिटेड-एक कंपनी के प्रबंध निदेशक/निदेशक हैं और कंपनी को आरोपी के रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया है। यह प्रस्तुत किया गया था कि ऐसा कोई आरोप नहीं है कि अपीलार्थी कंपनी के मामलों के प्रभारी थे और इसलिए अप्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी थे। उनके इस कथन के समर्थन में गुण-दोष के आधार पर कई अन्य प्रस्तुतियाँ भी की गईं कि आई. पी. सी. की धारा 420 के तहत अपराध बिल्कुल नहीं किया गया है। यह भी प्रस्तुत किया गया था कि जैसे ही कंपनी /

दोष देयता अवधि समाप्त होने के बावजूद, अपीलार्थियों को दोष के संबंध में सूचित किया गया था, उन्होंने वर्ष 2000 में टर्बाइनों को बदल दिया। यह भी प्रस्तुत किया गया कि पूरी परियोजना चल रही है और अभी भी चल रही है।

2.3 कि विवादित फैसले और आदेश से, उच्च न्यायालय ने आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने से इनकार कर दिया है। रद्द करने को अस्वीकार करते हुए

याचिका में, उच्च न्यायालय ने कहा है कि न केवल अपीलकर्ताओं के खिलाफ, बल्कि अरुणाचल प्रदेश सरकार के संबंधित कंपनी के अधिकारियों और इंजीनियरों के खिलाफ भी आरोप हैं और उप-मानक धावक टर्बाइनों की आपूर्ति और उप-मानक धावक टर्बाइनों को प्राप्त करने में उनके बीच आपराधिक साजिश के आरोप हैं जो निर्दिष्ट मानक के अनुरूप नहीं थे और अन्य सह-अभियुक्त व्यक्ति धारा 482 Cr.P.C के तहत इसी तरह की याचिका के साथ नहीं आए हैं और इसलिए इस स्तर पर ऐसा करना संभव नहीं है।

केवल अपीलार्थियों के लिए मामले को अलग करें। 2.4 अपराधी को निरस्त करने से इनकार करने में उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित फैसले और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करना।

धारा 482 Cr.P.C के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपीलार्थियों के खिलाफ कार्यवाही, मूल अभियुक्त संख्या। 1 & 2 - मेसर्स के प्रबंध निदेशक/निदेशक। एस. पी. एम. एल. इन्फ्रा लिमिटेड ने वर्तमान अपील को प्राथमिकता दी है।

3. अपीलार्थियों की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरिन पी. रावल ने जोरदार ढंग से कहा है कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उच्च न्यायालय ने एक गंभीर त्रुटि [2020] 1 एस. सी. आर. की है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

धारा 482 Cr.P.C के तहत शक्ति का प्रयोग नहीं करना और आपराधिक कार्यवाही को रद्द नहीं करना।

3.1 अपीलार्थियों की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रावल ने आगे कहा कि उच्च न्यायालय ऐसा करने में विफल रहा है।

इस तथ्य की सराहना करें और विचार करें कि विवादित आपराधिक कार्यवाही द्वारा शिकायतकर्ता ने विशुद्ध रूप से एक दीवानी विवाद को आपराधिक मामले में बदलने की कोशिश की है।

3.2 अपीलार्थियों की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रावल ने आगे कहा कि उच्च न्यायालय ऐसा करने में विफल रहा है। इस बात पर विचार करें और इस बात की सराहना करें कि एफ. आई. आर. में निहित आरोप भले ही अंकित मूल्य पर लिए गए हों और पूरी तरह से सही माने गए हों, किसी अपराध के प्रथम दृष्टया अपराध का खुलासा नहीं करते हैं, कम से कम एक संज्ञेय अपराध।

3.3 अपीलार्थियों की ओर से पेश हुए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रावल ने आगे कहा कि प्राथमिकी का एक नंगे अवलोकन

यह प्रदर्शित करेगा कि आरोप निम्न गुणवत्ता वाले कच्चे माल की आपूर्ति प्रतीत होते हैं जैसा कि नेशनल टेस्ट हाउस, कलकत्ता की परीक्षण रिपोर्ट के तहत देखा गया है जो कथित रूप से कंपनी द्वारा दिए गए परीक्षण प्रमाण पत्र से मेल नहीं खाता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि धोखाधड़ी के अस्तित्व के तत्व का सुझाव देने के लिए एफ. आई. आर. के पूरे भाग में कुछ भी नहीं है।

और पक्षों के बीच लेन-देन की शुरुआत से बेईमान इरादा।

3.4 अपीलार्थियों की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रावल ने आगे कहा कि उच्च न्यायालय ने इस तथ्य की उचित रूप से सराहना नहीं की है और इस तथ्य पर विचार नहीं किया है कि दोष देयता अवधि शिकायत/प्राथमिकी दर्ज करने से बहुत पहले समाप्त हो गई थी।

3.5 अपीलार्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रावल ने आगे कहा कि इसके बाद भी कंपनी ने रखरखाव का काम जारी रखा और परियोजना चल रही है। यह.

यह प्रस्तुत किया जाता है कि वास्तव में परियोजना वर्ष 1996 में शुरू की गई थी और परियोजना ने बिजली विभाग द्वारा जारी प्रमाण पत्र के अनुसार 90 लाख किलोवाट इकाइयों का उत्पादन किया था।

3.6 अपीलार्थियों की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रावल ने आगे कहा कि उच्च न्यायालय ऐसा करने में विफल रहा है।

इस तथ्य की सराहना करते हैं कि आक्षेपित प्राथमिकी और बाद में दर्ज की गई शिकायत दुर्भावनापूर्ण इरादे से और कंपनी के खिलाफ दर्ज की गई है

नियमित रखरखाव कार्य के लिए राशि का भुगतान करने की मांग की।

3.8 अपीलार्थियों की ओर से पेश हुए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रावल ने आगे कहा कि उच्च न्यायालय ऐसा करने में विफल रहा है इस तथ्य की सराहना करें और विचार करें कि पक्षों के बीच विवाद मध्यस्थों के समक्ष लंबित थे। यह प्रस्तुत किया जाता है कि वास्तव में

कंपनी को वैध देय भुगतान से वंचित होने के कारण मध्यस्थता कार्यवाही शुरू करने की आवश्यकता थी।

3.9 यह आगे अपीलार्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रावल द्वारा प्रस्तुत किया जाता है कि कथनों को देखते हुए और

शिकायत/एफ. आई. आर. में आरोप, यह नहीं कहा जा सकता है कि आई. पी. सी. की धारा 420 के तहत अपराध करने के लिए सामग्री बनाई गई है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि एफ. आई. आर. में कोई आरोप नहीं है कि अपीलकर्ताओं ने प्रतिवादी-राज्य के साथ अनुबंध की शुरुआत से ही बेईमान और धोखाधड़ी के इरादे से काम किया।

3.10 अपीलार्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रावल द्वारा आगे प्रस्तुत किया गया है कि आरोप में निहित हैं -

एफ. आई. आर. ने सबसे अच्छा विवाद की ओर इशारा किया, अर्थात्, अनुबंध की शर्तों के उल्लंघन से संबंधित और इसलिए सबसे अच्छा नागरिक दायित्व को जन्म दे सकता था।

3.11 अपीलार्थियों की ओर से पेश हुए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रावल ने आगे कहा कि उच्च न्यायालय ऐसा करने में विफल रहा है

इस बात की सराहना करते हैं कि कंपनी के खिलाफ कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई है-मैसर्स एस. पी. एम. एल. इन्फ्रा लिमिटेड और केवल मैसर्स एस. पी. एम. एल. इन्फ्रा लिमिटेड के प्रबंध निदेशक/निदेशक होने के नाते अपीलकर्ता आरोपी के रूप में शामिल हुए हैं। यह प्रस्तुत किया जाता है कि मुख्य कंपनी के अभियुक्त के रूप में शामिल होने की अनुपस्थिति में निर्णयों के संदर्भ में इस न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित अकेले कंपनी के निदेशकों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही बनाए रखने योग्य नहीं होगी।

3.12 अपीलार्थियों की ओर से पेश हुए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रावल ने आगे कहा कि अन्यथा भी ऐसा नहीं है।

शिकायत में अभिकथन और आरोप कि अपीलार्थी कंपनी के प्रशासन के प्रभारी थे और इसलिए वे कंपनी के कार्य के लिए अप्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी थे।

3.13 अपीलार्थियों की ओर से पेश हुए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रावल ने आगे कहा कि उच्च न्यायालय ऐसा करने में विफल रहा है

इस तथ्य की सराहना करते हुए कि दोष देयता अवधि वर्ष 1998 में समाप्त हो गई थी और उसके बाद भी मुख्य अभियंता द्वारा परियोजना के निष्पादन और जुलाई, 1996 में इसके चालू होने पर संतुष्टि प्रमाणित करते हुए प्रमाण पत्र जारी किए गए थे, बाद में पाए गए दोषों को दोष अवधि समाप्त होने के बाद भी ठीक कर दिया गया था और यहां तक कि कंपनी भी

3.14 अपीलार्थियों की ओर से पेश हुए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रावल ने आगे कहा कि उच्च न्यायालय ने ठीक से ऐसा नहीं किया है अपीलार्थियों और उनकी कंपनी की भूमिका की सराहना की और उन पर विचार किया

पूरे अनुबंध में। यह प्रस्तुत किया जाता है कि पूरा अनुबंध अपीलकर्ताओं और कंपनी द्वारा टर्बाइन और रनर बाल्टियों का निर्माण करने के लिए नहीं था, बल्कि केवल निर्माता से उसी की खरीद करने के लिए था और उत्तरदाताओं को भी यही प्रदान करें। यह प्रस्तुत किया जाता है कि कंपनी ने निर्माता द्वारा जारी प्रमाण पत्र पर भरोसा किया और परियोजना में केवल उक्त टर्बाइनों का उपयोग किया। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए भी अपीलार्थियों को किसी भी मामले में आपराधिक दायित्व से नहीं जोड़ा जा सकता है।

विनिर्माण दोष जब वह अपीलार्थियों और उनकी कंपनी के अधिकार क्षेत्र में भी नहीं था।

3.15 यह अपीलार्थियों की ओर से पेश विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रावल द्वारा आगे प्रस्तुत किया जाता है कि अन्यथा भी जब अंतिम

जाँच अधिकारी द्वारा रिपोर्ट दायर की गई है, आरोप पत्र एफ़. आई. आर. में लगाए गए आरोपों और कथनों से बहुत आगे निकल गया है। 3.16 अपीलार्थियों की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रावल ने आगे कहा कि हालांकि शिकायत/प्राथमिकी में कोई आरोप नहीं थे, लेकिन पुलिस अधिकारियों ने परियोजना की व्यावसायिक प्रभावशीलता की जांच की, जिसके माध्यम से मेसर्स एस. पी. एम. एल. इन्फ्रा लिमिटेड का चयन किया गया था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि केवल इसलिए कि टर्बाइनों की कथित निर्माण लागत और कंपनी द्वारा उद्धृत दरों के बीच अंतर था, अपीलार्थियों को धोखाधड़ी के आपराधिक अपराध का दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि कंपनी सबसे कम बोली लगाने वाली थी और बाद में उसे अनुबंध दिया गया था।

निविदा समिति द्वारा उचित विचार-विमर्श।

3.17 अपीलार्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रावल द्वारा आगे प्रस्तुत किया गया है कि उच्च न्यायालय सुशील सेठी बनाम के मामले में विफल रहा है।

धारा 482 Cr.P.C के तहत शक्तियों का प्रयोग करें और इस प्रकार इसमें निहित अधिकार क्षेत्र का प्रयोग नहीं किया है।

3.18 उपरोक्त प्रस्तुतियाँ करना और हरियाणा राज्य के मामलों में इस न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा करना। भजन लाल 1992

सप. (1) एस. सी. सी. 335; हीरालाल हरिलाल भगवती बनाम। सी. बी. आई., नई दिल्ली (2003) 5 एस. सी. सी. 257; इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन बनाम। एन. ई. पी. सी. इंडिया लिमिटेड और अन्य (2006) 6 एस. सी. सी. 736; वी. वी. जोस और एक अन्य वी. गुजरात राज्य और एक अन्य (2009) 3 एस. सी. सी. 78; वेसा होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम। केरल राज्य और अन्य (2015) 8 एस. सी. सी. 293; और शरद कुमार सांघी बनाम। संगीता राणे (2015) 12 एस. सी. सी. 781, यह प्रार्थना की जाती है कि वर्तमान अपील को अनुमति दी जाए और जहां तक अपीलकर्ताओं का संबंध है, विवादित आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया जाए।

4. वर्तमान अपील का प्रतिवादियों-अरुणाचल प्रदेश राज्य की ओर से पेश विद्वान वकील द्वारा जोरदार विरोध किया गया है।

4.1 यह प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील द्वारा जोरदार रूप से प्रस्तुत किया जाता है-राज्य और वकील की ओर से

मूल शिकायतकर्ता ने कहा कि आई. पी. सी. की धारा 420 के तहत उप-मानक सामग्री देने/आपूर्ति करने और भारी सार्वजनिक धन से सरकार को धोखा देने के आपराधिक इरादे से ऐसी सामग्री के लिए अत्यधिक दरें वसूलने के अपराध के लिए प्रथम दृष्टया मामला पाए जाने के बाद, उच्च न्यायालय ने आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने से इनकार कर दिया है।

4.2 यह आगे उपस्थित विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत किया जाता है

प्रत्यर्थियों की ओर से कहा गया है कि अपीलकर्ताओं पर आई. पी. सी. की धारा 420 के साथ 120 बी के तहत अपराधों का आरोप लगाया गया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि विभाग द्वारा किए गए निरीक्षण के अनुसार और यहां तक कि जांच के दौरान पता चला कि अपीलकर्ताओं ने उप-मानक धावक टर्बाइनों की आपूर्ति की, जिनका उपयोग अभियुक्त द्वारा किया जाता है, हालांकि वे निर्दिष्ट मानकों के अनुरूप नहीं थे। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए सरकार को धोखा देने के लिए अभियुक्तों के बीच आपराधिक साजिश का प्रथम दृष्टया मामला बनाया गया है। 4.3 उत्तरदाताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वकील द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि अपीलार्थियों के खिलाफ पर्याप्त सामग्री/साक्ष्य हैं और इसलिए यह एक उपयुक्त मामला है जिसमें अपीलार्थी पर आई. पी. सी. की धारा 420,120 बी के तहत अपराध करने के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है।

4.4 यह आगे उपस्थित विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत किया जाता है

प्रत्यर्थियों की ओर से कि अपीलार्थियों/कंपनी द्वारा शुरू की गई मध्यस्थता कार्यवाही का आपराधिक विवाद से कोई लेना-देना नहीं है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि नागरिक विवाद को आपराधिक विवाद में बदलने की कोशिश की गई है। 4.5 उत्तरदाताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वकील द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस न्यायालय द्वारा निर्णयों के संबंध में केवल इसलिए अभिनिर्धारित किया गया है कि किसी कार्यवाही की प्रकृति नागरिक है, इसका मतलब यह नहीं है कि उसमें कोई आपराधिकता मौजूद नहीं है।

4.6 यह आगे उपस्थित विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत किया जाता है

उत्तरदाताओं की ओर से कहा गया कि जांच के दौरान यह पाया गया है कि एक कार्तिक स्टील लिमिटेड, चेन्नई ने घटकों का परीक्षण किया

मेसर्स एस. पी. एम. एल. इन्फ्रा लिमिटेड द्वारा आपूर्ति की गई और रिपोर्ट से पता चलता है कि सामग्री उप-मानक थी। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए यह एक स्पष्ट मामला है कि अपीलकर्ताओं को विभाग को आपूर्ति की गई सामग्री की निम्न गुणवत्ता के बारे में पूर्व जानकारी थी।

4.7 उत्तरदाताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वकील द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि जांच के दौरान, यह पाया गया है कि अपीलकर्ताओं ने न केवल उप-मानक सामग्री की आपूर्ति करके डीओपी को धोखा दिया है, बल्कि उन्होंने तीन धावक बाल्टियों के टर्बाइनों के लिए अत्यधिक दरें भी ली हैं, भले ही उन्हें पता था कि उक्त धावक बाल्टियां संतोषजनक नहीं थीं। यह प्रस्तुत किया जाता है कि जांच के दौरान यह रिकॉर्ड पर आया है कि टर्बाइन थे

मैसर्स बीकन नेयर्पिक, चेन्नई द्वारा निर्मित और अपीलकर्ताओं और विनिर्माण कंपनी द्वारा उद्धृत दरों की तुलना की गई। यह प्रस्तुत किया जाता है कि यह पाया गया है कि विनिर्माण कंपनी के अनुसार लागत रु. 1,61,04,000/- थी, हालांकि, मेसर्स एसपीएमएल इन्फ्रा लिमिटेड रुपये. 5,18,50,049/- का शुल्क लिया गया। इस प्रकार, रुपये 3,57,46,049/- की दर में अंतर था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए पक्षों के बीच लेन-देन की शुरुआत से एक धोखाधड़ी और बेईमान इरादा था।

4.8 उत्तरदाताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वकील द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस प्रकार तीन गुना अधिक दरों पर उप-मानक सामग्री की आपूर्ति और सामग्री की उप-मानक गुणवत्ता की पूर्व जानकारी से पता चलता है कि अपीलकर्ताओं का आपराधिक इरादा डीओपी/अरुणाचल प्रदेश सरकार को अधिक कीमत पर उप-मानक गुणवत्ता वाली सामग्री की आपूर्ति करने का था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए सुशील सेठी v.

अपीलार्थियों पर धारा 420 के तहत अपराध के लिए सही आरोप पत्र दायर किया गया है।

120 बी आई. पी. सी. के साथ पढ़ें। 4.9 यह उत्तरदाताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वकील द्वारा आगे प्रस्तुत किया जाता है कि अपीलार्थी नं। 1 प्रबंध निदेशक हैं

और अपीलार्थी नं. 2 मैसर्स एस. पी. एम. एल. इन्फ्रा लिमिटेड कंपनी के निदेशक हैं और इसलिए कंपनी के प्रबंध निदेशक/निदेशक हैं।

स्वाभाविक रूप से वे कंपनी के प्रशासन और प्रबंधन के प्रभारी थे और इसलिए अप्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी हैं। यह प्रस्तुत किया जाता है कि

उच्च न्यायालय द्वारा विवादित निर्णय और आदेश में उपरोक्त पर विस्तृत रूप से विचार किया गया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि अन्यथा भी

उच्च न्यायालय ने ठीक ही कहा है कि इस स्तर पर केवल अपीलार्थी मामले को अलग करना संभव नहीं है।

4.10 यह आगे उपस्थित विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत किया जाता है

प्रत्यर्थियों की ओर से कि अपीलार्थियों की ओर से जो भी प्रस्तुतियाँ की जाती हैं, वे उनके बचाव हैं जिन पर मुकदमे के समय विचार किया जाना आवश्यक है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि गहन जांच के बाद,

जांच एजेंसी ने अपीलार्थियों और अन्य अभियुक्तों के खिलाफ आई. पी. सी. की धारा 420 के तहत अपराधों के लिए आरोप पत्र दायर किया है और विशेष रूप से आपराधिक साजिश के संबंध में, उच्च न्यायालय ने धारा 482 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने से इनकार कर दिया है।

4.11 उपरोक्त प्रस्तुतियाँ करना और एस. ओ. के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करना। कमल शिवाजी पोकर्णेकर बनाम। महाराष्ट्र राज्य और अन्य ने 2019 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 182 (2019 की आपराधिक अपील 12.02.2019 पर निर्णय लिया गया) में बताया कि वर्तमान अपील को खारिज करने का अनुरोध किया जाता है।

5. हमने संबंधित पक्षों के विद्वान वकील को सुना है

5.1 शुरुआत में, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि अपीलार्थियों के खिलाफ धारा 420 के तहत अपराधों के लिए आरोप पत्र दायर किया गया है। आई. पी. सी. की धारा 120 बी के साथ पढ़ें। विवादित निर्णय द्वारा और

आदेश देते हुए, उच्च न्यायालय ने प्राथमिकी और आरोप पत्र [2020] 1 एस. सी. आर. को रद्द करने से इनकार कर दिया है।

धारा 482 Cr.P.C के तहत शक्तियों के प्रयोग में अपीलार्थियों के खिलाफ।

इसलिए, इस न्यायालय के विचार के लिए जो छोटा सवाल उठाया गया है, वह यह है कि क्या धारा 482 Cr.P.C के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए आईपीसी की धारा 120 बी के साथ पठित धारा 420 के तहत अपराधों के लिए अपीलार्थियों के खिलाफ प्राथमिकी और आरोप पत्र को रद्द करने का मामला बनाया गया है?

6. एफ़. आई. आर. और यहाँ तक कि आरोप-पत्र में दिए गए कथनों और आरोपों को ध्यान में रखते हुए मुख्य आरोप यह हैं कि कंपनी, अर्थात्,

एफ़. आई. आर. और यहाँ तक कि आरोप-पत्र को नंगे पढ़ने पर, ऐसा कोई आरोप नहीं है कि धोखाधड़ी करने का धोखाधड़ी और बेईमान इरादा था। लेनदेन की शुरुआत से ही सरकार। वहाँ भी

एफ. आई. आर./आरोप-पत्र में कोई विशिष्ट आरोप और अभिकथन नहीं है कि अपीलार्थी कंपनी के प्रशासन और प्रबंधन के प्रभारी थे और इस प्रकार अप्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी थे। उपरोक्त के आलोक में,

आई. पी. सी. की धारा 420 के तहत अपराध के लिए अपीलार्थियों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए अपीलार्थियों के अनुरोध पर विचार किया जाना आवश्यक है।

7. अपराध के लिए अपीलार्थियों के खिलाफ आक्षेपित आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए अपीलार्थियों की प्रार्थना पर विचार करते हुए आई. पी. सी. की धारा 420 के तहत, शक्तियों के प्रयोग पर इस न्यायालय के कुछ निर्णय

धारा 482 Cr.P.C के तहत संदर्भित किया जाना आवश्यक है।

7.1 भजन लाल (उपर्युक्त) के मामले में, पैराग्राफ 102 में, इस न्यायालय ने उदाहरण के माध्यम से मामलों को वर्गीकृत किया है जिसमें शक्तियां

अनुच्छेद 226 के तहत या धारा 482 Cr.P.C के तहत अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग किसी भी प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए किया जा सकता है।

न्यायालय या अन्यथा न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए। पैराग्राफ 102 में, यह निम्नानुसार मनाया और अभिनिर्धारित किया गया हैः

" 102. अध्याय XIV और सिद्धांतों के तहत संहिता के विभिन्न प्रासंगिक प्रावधानों की व्याख्या की पृष्ठभूमि में

अनुच्छेद 226 या शील सेथी v के तहत असाधारण शक्ति के प्रयोग से संबंधित निर्णयों की एक श्रृंखला में इस न्यायालय द्वारा प्रतिपादित कानून।

संहिता की धारा 482 के तहत अंतर्निहित शक्तियां जिन्हें हमने ऊपर निकाला और पुनः प्रस्तुत किया है, हम उदाहरण के माध्यम से निम्नलिखित श्रेणियों के मामले देते हैं जिसमें ऐसी शक्ति का प्रयोग या तो किसी भी अदालत की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए किया जा सकता है या

अन्यथा न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए, हालांकि किसी भी सटीक, स्पष्ट रूप से परिभाषित और पर्याप्त रूप से निर्धारित करना संभव नहीं हो सकता है। चैनलाइज़्ड और अनम्य दिशानिर्देश या कठोर सूत्र और असंख्य प्रकार के मामलों की एक विस्तृत सूची देना जिसमें ऐसी शक्ति हो।

व्यायाम करना चाहिए।

(1) जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट या शिकायत में लगाए गए आरोप, भले ही उन्हें उनके अंकित मूल्य पर लिया जाए और उनकी संपूर्णता को स्वीकार किया जाए, प्रथम दृष्टया कोई अपराध नहीं बनाते हैं या आरोपी के खिलाफ मामला नहीं बनाते हैं।
(2) जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट में आरोप और अन्य सामग्री, यदि कोई हो, प्राथमिकी के साथ एक संज्ञेय अपराध का खुलासा नहीं करते हैं,

संहिता की धारा 156 (1) के तहत पुलिस अधिकारियों द्वारा जांच को उचित ठहराना, सिवाय इसके कि

के दायरे में एक मजिस्ट्रेट का आदेश

संहिता की धारा 155 (2)।

(3) जहां एफ. आई. आर. या शिकायत में लगाए गए अनियंत्रित आरोप और उसके समर्थन में एकत्र किए गए साक्ष्य का खुलासा नहीं करते हैं

किसी भी अपराध को अंजाम देना और अभियुक्त के खिलाफ मामला बनाना।

(4) जहां, एफ. आई. आर. में आरोप एक संज्ञेय अपराध का गठन नहीं करते हैं, लेकिन केवल एक गैर संज्ञेय अपराध का गठन करते हैं, कोई जांच नहीं की जाती है

मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना एक पुलिस अधिकारी द्वारा अनुभाग के तहत अनुध्यात अनुमति

155 (2) कोड से।

5) जहाँ एफ. आई. आर. या शिकायत में लगाए गए आरोप इतने बेतुके और स्वाभाविक रूप से असंभव हैं जिनके आधार पर कोई भी विवेकपूर्ण व्यक्ति कभी भी [2020] 1 एस. सी. आर.

एक न्यायसंगत निष्कर्ष पर पहुँचें कि अभियुक्त के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार है।

(6) जहां संहिता के किसी भी प्रावधान में एक स्पष्ट कानूनी रोक लगी हुई है या

संबंधित अधिनियम (जिसके तहत एक आपराधिक कार्यवाही शुरू की जाती है) संस्था को और कार्यवाही को जारी रखने के लिए और/या जहां संहिता या संबंधित अधिनियम में एक विशिष्ट प्रावधान है, जो पीड़ित पक्ष की शिकायत के लिए प्रभावी निवारण प्रदान करता है।

(7) जहां किसी आपराधिक कार्यवाही को स्पष्ट रूप से दुर्भावनापूर्ण तरीके से पेश किया जाता है और/या जहां कार्यवाही दुर्भावनापूर्ण तरीके से अभियुक्त से बदला लेने के उद्देश्य से शुरू की जाती है और

निजी और निजी कारणों से उसका विरोध करने की दृष्टि से

व्यक्तिगत द्वेष "।

इस न्यायालय के उपरोक्त निर्णय का पालन किया गया है।

बाद में इस न्यायालय द्वारा निर्णयों की सूची में।

7.2 वेसा होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड (उपरोक्त) के मामले में, यह है -

इस न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित और अभिनिर्धारित किया गया कि अनुबंध का प्रत्येक उल्लंघन धोखाधड़ी के अपराध को जन्म नहीं देगा और केवल उन मामलों में अनुबंध का उल्लंघन धोखाधड़ी के बराबर होगा जहां शुरुआत में ही कोई धोखाधड़ी की गई थी। यह आगे देखा गया है और अभिनिर्धारित किया गया है कि धोखाधड़ी के अपराध को गठित करने के उद्देश्य से, शिकायतकर्ता को यह दिखाने की आवश्यकता है कि आरोपी का वादा या अभ्यावेदन करते समय धोखाधड़ी या बेईमान इरादा था। यह आगे देखा गया है और अभिनिर्धारित किया गया है कि ऐसे मामले में भी जहां अभियुक्त की ओर से अपना वादा पूरा करने में विफलता के संबंध में आरोप लगाए गए हैं, प्रारंभिक वादा करते समय गैर-जिम्मेदार इरादे के अभाव में, आई. पी. सी. की धारा 420 के तहत कोई अपराध नहीं कहा जा सकता है। यह आगे देखा और अभिनिर्धारित किया जाता है कि वास्तविक परीक्षा यह है कि क्या शिकायत में लगाए गए आरोप धोखाधड़ी के आपराधिक अपराध का खुलासा करते हैं या नहीं।

7.3 हीरालाल हरिलाल भगवती (ऊपर) के मामले में, पैराग्राफ में

40 , इस न्यायालय ने निम्नलिखित रूप में अवलोकन और अभिनिर्धारित किया है:

" 40. यह निर्णयों के एक समूह द्वारा तय किया गया कानून है, जिसे स्थापित करने के लिए

धोखाधड़ी के अपराध के लिए, शिकायतकर्ता को यह दिखाना आवश्यक है कि शील सेठी बनाम।

अरुणाचल प्रदेश राज्य [एम. आर. शाह, जे.]

अभियुक्त का वादा या अभ्यावेदन करते समय धोखाधड़ी या बेईमान इरादा था। रखने में उसकी विफलता से

वादा बाद में, इस तरह के एक दोषी इरादे पर सही शुरुआत वह समय है जब वादा किया गया था, यह नहीं माना जा सकता है। अभिलेखों से यह देखा जाता है कि छूट प्रमाण पत्र में आवश्यक शर्तें थीं जिनका मशीन के आयात के बाद पालन करना आवश्यक था। चूँकि जी. सी. एस. इसका पालन नहीं कर सका, इसलिए उसने उचित रूप से आवश्यक भुगतान किया

छूट के लिए आवेदन। जैसा कि बेईमानी का अभाव था और धोखाधड़ी के इरादे से, दंड संहिता, 1860 की धारा 420 के तहत अपराध करने का सवाल ही नहीं उठता है। हमने आरोप-पत्र को समग्र रूप से पढ़ा है। प्रथम सूचना रिपोर्ट या आरोप पत्र में कोई आरोप नहीं है जो स्पष्ट रूप से या निहित रूप से किसी भी जानबूझकर धोखे या धोखाधड़ी/बेईमानी का संकेत देता है।

वचन देने या गलत तरीके से प्रस्तुत करने के समय से ही अपीलार्थियों का इरादा। इस बारे में कुछ नहीं कहा गया है वे गलत निरूपण थे और कैसे स्वास्थ्य मंत्रालय को ठगा गया और कथित अपराध में अपीलार्थियों द्वारा क्या भूमिका निभाई गई थी। हमारे विचार में, अपीलकर्ताओं को सीमा शुल्क की चोरी या भारत सरकार को धोखा देने के किसी भी कारण के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है क्योंकि कैंसर सोसायटी एक गैर-लाभकारी संगठन है और इसलिए, अभियोजन पक्ष द्वारा अपीलकर्ताओं के खिलाफ लगाए गए आरोप अस्थिर हैं। डंकन [(1996) 5 एस. सी. सी. 591 के साथ कर विवाद समाधान योजना प्रमाण पत्रः 1996 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 1045 और सुशीला रानी [(2002) 2 एस. सी. सी. 697: (2002) 2 शीर्ष निर्णय] निर्णय स्पष्ट रूप से अपीलार्थियों को किसी भी अन्य कानून के तहत सभी आरोपों और आरोपों से मुक्त करते हैं, एक बार जब इस तरह से मांगे गए कर्तव्य का भुगतान कर दिया जाता है और कथित अपराध को बढ़ा दिया जाता है। यह भी तय किया गया कानून है कि एक बार दीवानी मामले से समझौता कर लिया गया है और कथित अपराध को बढ़ा दिया गया है, उसके बाद आपराधिक कार्यवाही जारी रखना एक दुरुपयोग होगा।

न्यायिक प्रक्रिया। 99 "

इस न्यायालय द्वारा उपरोक्त मामले में आगे यह अवलोकन और अभिनिर्धारित किया गया है कि साजिश के आरोप को [2020] 1 एस. सी. आर. के दायरे में लाया जाए।

आई. पी. सी. की धारा 120 बी, यह स्थापित करना आवश्यक है कि एक गैरकानूनी कार्य करने के लिए पक्षों के बीच एक समझौता था। यह आगे है

अभिनिर्धारित और अभिनिर्धारित किया कि प्रत्यक्ष साक्ष्य द्वारा षड्यंत्र स्थापित करना मुश्किल है।

7.4 वी. वाई. जोस (उपरोक्त) के मामले में, इस न्यायालय द्वारा यह देखा और अभिनिर्धारित किया जाता है कि धोखाधड़ी का एक तत्व धोखाधड़ी का अस्तित्व है।

या अनुबंध के गठन की शुरुआत से ही प्रारंभिक वादा करने या उसके अस्तित्व का बेईमान इरादा। यह आगे देखा जाता है और

अभिनिर्धारित किया कि यह कहना एक बात है कि एक मामला मुकदमे के लिए बनाया गया है और इस तरह की आपराधिक कार्यवाही को रद्द नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन यह कहना दूसरी बात है कि इस तथ्य के बावजूद कि कोई मामला नहीं बनाया गया है, एक व्यक्ति को आपराधिक मुकदमे से गुजरना चाहिए।

7.5 शरद कुमार सांघी (उपरोक्त) के मामले में, इस न्यायालय के पास उनके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू करने पर विचार करने का अवसर था।

प्रबंध निदेशक या उस कंपनी का कोई अधिकारी जहाँ कंपनी को शिकायत में पक्षकार के रूप में नहीं रखा गया था। उपरोक्त निर्णय में, इस न्यायालय द्वारा यह देखा और अभिनिर्धारित किया जाता है कि प्रत्यावर्ती दायित्व के प्रबंध निदेशक के खिलाफ विशिष्ट आरोप के अभाव में, कंपनी को एक पक्ष के रूप में प्रस्तुत नहीं किए जाने के अभाव में, ऐसे प्रबंध निदेशक या किसी कंपनी के किसी अधिकारी के खिलाफ कोई कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती है। यह आगे देखा और अभिनिर्धारित किया जाता है कि जब कोई शिकायतकर्ता हस्तक्षेप करने का इरादा रखता है

एक प्रबंध निदेशक या किसी कंपनी के किसी अधिकारी को प्रत्यावर्ती दायित्व का गठन करने के लिए आवश्यक आरोप लगाना आवश्यक है।

7.6 जोसेफ साल्वराजा ए वी के मामले में। गुजरात राज्य (2011) 7 एस. सी. सी. 59, यह इस न्यायालय द्वारा देखा और अभिनिर्धारित किया गया है कि जब दोनों के बीच विवाद होता है।

पक्षकारों का गठन केवल एक दीवानी गलती है और आपराधिक गलती नहीं है, अदालतें किसी व्यक्ति को परेशान करने की अनुमति नहीं देंगी, हालांकि अपराध का संज्ञान लेने के लिए कोई मामला नहीं बनाया गया है।

7.7 इंदर मोहन गोस्वामी बनाम के मामले में। उत्तरांचल राज्य, (2007) 12 एस. सी. सी. 1, इस न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित और अभिनिर्धारित किया गया है कि न्यायालय

यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आपराधिक अभियोजन का उपयोग उत्पीड़न के साधन के रूप में या निजी प्रतिशोध की मांग के लिए या आरोपी पर दबाव बनाने के लिए एक गुप्त उद्देश्य के साथ नहीं किया जाता है। इस न्यायालय द्वारा आगे यह अवलोकन और अभिनिर्धारित किया जाता है कि अंतर्निहित अधिकारिता के प्रयोग को नियंत्रित करने वाले एक अनम्य नियम के तहत कानून बनाना न तो संभव है और न ही वांछनीय है।

यह आगे देखा और अभिनिर्धारित किया जाता है कि धारा 482 सुशील सेठी v के तहत उच्च न्यायालयों की अंतर्निहित अधिकारिता।

Cr.P.C. हालांकि चौड़े का प्रयोग संयम, सावधानी और सावधानी के साथ किया जाना चाहिए और केवल तभी जब इसे क़ानून में विशेष रूप से निर्धारित परीक्षणों द्वारा उचित ठहराया जाए। 8. इस न्यायालय द्वारा उपरोक्त निर्णयों में मामले के तथ्यों पर निर्धारित कानून को लागू करते हुए, हमारी राय है कि यह धारा 482 Cr.P.C के तहत शक्तियों का प्रयोग करने और विवादित आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए एक उपयुक्त मामला है।

8.1 . जैसा कि ऊपर देखा गया है, अपीलार्थियों के खिलाफ धारा 420 के तहत अपराधों के लिए आरोप पत्र दायर किया गया है।

सरकार तीन बिजली उत्पादन इकाइयों सहित नूरांग पनबिजली परियोजना की आपूर्ति और चालू करने के लिए थी। अपीलकर्ताओं ने परियोजना के लिए टर्बाइनों को किसी अन्य निर्माता से खरीदा। कंपनी ने बिजली परियोजना में उक्त टर्बाइनों का उपयोग किया। यह अनुबंध वर्ष 1993 में था। इसके बाद वर्ष 1996 में यह परियोजना थी नियुक्त किया गया। वर्ष 1997 में, विद्युत विभाग ने परियोजना के निष्पादन पर संतुष्टि को प्रमाणित करते हुए एक प्रमाण पत्र जारी किया। यहां तक कि दोष देयता अवधि भी जनवरी, 1998 में समाप्त/समाप्त हो गई। वर्ष 2000 में, तीन टर्बाइनों के संबंध में कुछ दोष पाया गया था। तुरंत, टर्बाइनों को बदल दिया गया। बिजली परियोजना शुरू हुई

शुरुआत से ही काम करना-1996 के बाद से। यदि कंपनी/अपीलार्थियों का इरादा अरुणाचल सरकार को धोखा देना था

प्रदेश, उन्होंने उन टर्बाइनों को नहीं बदला होगा जो दोषपूर्ण पाए गए थे। किसी भी मामले में, शिकायत में कोई विशिष्ट आरोप और कथन नहीं हैं कि अनुबंध में प्रवेश करते समय अभियुक्त का धोखाधड़ी या बेईमान इरादा था। इसलिए, उपरोक्त निर्णयों में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून को लागू करते हुए, यह नहीं कहा जा सकता है कि आई. पी. सी. की धारा 420 के तहत अपराध के लिए प्रथम दृष्टया मामला भी बनाया गया है।

8.2 . यह भी ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि मुख्य आरोपों को कंपनी के खिलाफ कहा जा सकता है। कंपनी को नहीं बनाया गया है

पार्टी। आरोप प्रबंध निदेशक और [2020] 1 एस. सी. आर. तक ही सीमित हैं।

क्रमशः कंपनी के निदेशक। प्रबंध निदेशक या यहां तक कि निदेशक के खिलाफ कोई विशिष्ट आरोप नहीं हैं। प्रत्यावर्ती दायित्व का गठन करने के लिए कोई आरोप नहीं हैं। मकसूद सैय्यद बनाम के मामले में। गुजरात राज्य (2008) 5 एस. सी. सी. 668, इस न्यायालय द्वारा यह अवलोकन और अभिनिर्धारित किया गया है कि दंड संहिता में कंपनी के प्रबंध निदेशक या निदेशकों की ओर से प्रत्यावर्ती दायित्व को संलग्न करने का कोई प्रावधान नहीं है जब आरोपी कंपनी है। यह आगे देखा और अभिनिर्धारित किया जाता है कि प्रबंध निदेशक और निदेशक का प्रत्यावर्ती दायित्व उत्पन्न होगा बशर्ते कि क़ानून में उस ओर से कोई प्रावधान मौजूद हो। यह आगे देखा गया है कि कानून में निर्विवाद रूप से ऐसी प्रत्यावर्ती देनदारियों को तय करने का प्रावधान होना चाहिए। यह आगे देखा गया है कि उक्त उद्देश्य के लिए भी, शिकायतकर्ता की ओर से आवश्यक आरोप लगाना अनिवार्य है जो प्रत्यावर्ती का गठन करने वाले प्रावधानों को आकर्षित करेगा। दायित्व। वर्तमान मामले में, अपीलकर्ताओं के क्रमशः कंपनी के प्रबंध निदेशक या निदेशक होने के खिलाफ ऐसा कोई विशिष्ट आरोप नहीं है। इन परिस्थितियों में भी, विवादित आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने और दरकिनार करने की आवश्यकता है।

8.3 इस स्तर पर, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि हालांकि प्राथमिकी वर्ष 2000 में दर्ज की गई थी और आरोप पत्र प्रस्तुत/दायर किया गया था

आई. डी. 1 पर, अपीलार्थियों को केवल वर्ष 2017 में समन भेजा गया था, यानी आरोप पत्र दाखिल करने की तारीख से लगभग 13 साल की अवधि के बाद। इन परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय ने विवादित आपराधिक कार्यवाही को रद्द नहीं करने और दरकिनार नहीं करने में एक गंभीर गलती की है और धारा 482 Cr.P.C के तहत उसमें निहित अधिकार क्षेत्र का प्रयोग नहीं करने में गलती की है।

9. उपरोक्त और ऊपर बताए गए कारणों को ध्यान में रखते हुए, हमारी दृढ़ राय है कि यह निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग करने के लिए एक उपयुक्त मामला है।

धारा 482 और आई. पी. सी. की धारा 120 बी के साथ पठित धारा 420 के तहत अपराध के लिए अपीलार्थियों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रद्द करना। अपीलार्थियों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही जारी रखना उनके लिए अनुचित उत्पीड़न होगा। जैसा कि यहाँ ऊपर देखा गया है, कोई प्रथम दृष्टया नहीं

आई. पी. सी. की धारा 420 के तहत अपराध का मामला बनता है।

10. तदनुसार तत्काल अपील की अनुमति है। उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश को दरकिनार कर दिया जाता है। अपराध के लिए अपीलार्थियों के खिलाफ दायर की गई आक्षेपित प्राथमिकी और आरोप पत्र

आई. पी. सी. की धारा 420 के तहत निरस्त कर दिया जाता है। हालाँकि, यह विशेष रूप से सुशील सेठी बनाम है।

अरुणाचल प्रदेश राज्य [एम. आर. शाह, जे.]

यह देखा गया और स्पष्ट किया गया कि आक्षेपित आपराधिक कार्यवाही ए है

खारिज कर दिया गया और केवल अपीलार्थियों के खिलाफ अलग कर दिया गया, न कि किसी अन्य आरोपी के खिलाफ जिसके खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया था और कानून के अनुसार अन्य अभियुक्तों के खिलाफ कार्यवाही जारी रहेगी।

कल्पना के. त्रिपाठी